जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नगीना देहात दिनांकः- 30.05.2026

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 93/2026 धारा 305(e)/331(4) बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तगण को चोरी किये गये सामान सहित गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.05.2026 को थाना नगीना देहात पर वादिया श्रीमती अंशू रानी पत्नी मुकेश कुमार निवासी ग्राम अब्दीपुर उर्फ आजमपुर परमा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, द्वारा तहरीर दी गई कि प्राइमरी स्कूल ग्राम अब्दीपुर उर्फ आजमपुर परमा में अज्ञात चोरों द्वारा कमरे का ताला तोड़कर एक इन्वर्टर, एक बैटरा, 02 कैमरे तथा फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर चोरी कर लिया गया है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0-93/2026 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गई। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1. योगेश कुमार उर्फ पाची पुत्र कृपाल सिंह, 2. कपिल कुमार पुत्र मदनपाल, 3. विशाल कुमार उर्फ सुदामा पुत्र बिशन सिंह 4. गौरव पुत्र छोटेलाल, 5. मन्दीप पुत्र कल्वा तथा 6. कपिल पुत्र सुमेर निवासीगण ग्राम अब्दीपुर उर्फ आजमपुर परमा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये ।

कार्यवाही-

दिनांक 30.05.2026 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में वाछिंत अभियुक्तगण 1. योगेश कुमार उर्फ पाची पुत्र कृपाल सिंह, 2. कपिल कुमार पुत्र मदनपाल, 3. विशाल कुमार उर्फ सुदामा पुत्र बिशन सिंह निवासीगण ग्राम अब्दीपुर उर्फ आजमपुर परमा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को चोरी किये गये इन्वर्टर व बैटरा के साथ गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.योगेश कुमार उर्फ पाची पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम अब्दीपुर उर्फ आजमपुर परमा थाना नगीना देहात बिजनौर।

2. कपिल कुमार पुत्र मदनपाल निवासी ग्राम अब्दीपुर उर्फ आजमपुर परमा थाना नगीना देहात बिजनौर।

3. विशाल कुमार उर्फ सुदामा पुत्र बिशन सिंह निवासी ग्राम अब्दीपुर उर्फ आजमपुर परमा थाना नगीना देहात बिजनौर।

बरामदगीः-

1.एक इन्वर्टर

2. एक माइक्रोटेक बैटरा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री नितेन्द्र सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

2.है0का0 149 चन्द्रप्रभात थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

3.है0 का0 1926 राहुल थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

4.है0 का0 737 सुभाष चन्द थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

5.का0 1122 अरबाज थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

6.म0 का0 2405 सरिता थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट- थाना किरतपुर   दिनांक 30-05-2026

थाना किरतपुर किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 132/2026 धारा 115(2)/352/109(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 14-05-2026 को वादी प्रिंस कुमार पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम शाहपुर रतन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1. पंवर सिंह पुत्र अतर सिंह एवं 2. रितिक पुत्र पंवर सिंह निवासीगण ग्राम शाहपुर रतन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पिता भंवर सिंह के साथ जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडों से मारपीट करते हुए गाली-गलौज की गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 132/2026 धारा 109(1),115(2),352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 30-05-2026 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त पवन सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

पंवर सिंह पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम शाहपुर रतन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक लकडी का डन्डा

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.श्री पुष्पेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी कितरपुर, जनपद बिजनौर।

2.व0उ0नि0 श्री पवन कुमार शर्मा, उ0नि0 थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

3-कां0 2138 गौरव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

4-हे0कां0 270 अनुराग कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना किरतपुर   दिनांक 30-05-2026

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 150/2026 धारा 109(1)/115(2)/118(1)/127(2)/352/351(2)/190/191(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना एंव कार्यवाही का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 29-05-2026 को वादी मो0 सलीम पुत्र मो0 नसीम निवासी ग्राम चांडक तुर्क थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1. बदर पुत्र वसरूद्दीन निवासी मौहल्ला बुद्धुपाड़ा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर, 2. शुऐब पुत्र नामालूम निवासी मौहल्ला बुद्धुपाड़ा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर, 3. नौशाद पुत्र अब्बू निवासी मौहल्ला बुद्धुपाड़ा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर, 4. शहरयान पुत्र अफजाल निवासी मौहल्ला बुद्धुपाड़ा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर एवं 5. औसाफ पुत्र वहाब निवासी मौहल्ला बुद्धुपाड़ा कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी एवं उसके भाइयों के साथ मारपीट की गयी एवं जान से मारने की धमकी दी गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 150,2026 धारा 109(1),115(2),118(1),127(2),352,351(2),190,191(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 30.05.2026 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण बदर व शहरयान उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. बदर पुत्र वसरूद्दीन निवासी मौहल्ला बुद्धुपाडा कस्बा व थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर
2. शहरयान पुत्र अफजाल निवासी मौहल्ला बुद्धुपाडा कस्बा व थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण

एक लोहे की राड तथा एक लकडी का डन्डा

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.श्री पुष्पेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी कितरपुर, जनपद बिजनौर
2.श्री दीपक नागर, उ0नि0 थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3-हे0कां0 450 अरुण कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
4-हे0कां0 447 गौतम कुमार, थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- जनपद बिजनौर **दिनांक 30.05.2026**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और कुल 60,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

दिनांक 03.05.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि नूरपुर रोड स्थित आर0सी0टी0आई0 कम्प्यूटर सेंटर में एक अध्यापिका को वहीं पढ़ने वाले छात्र प्रशांत पुत्र लवकुश निवासी ग्राम शादीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया है। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा घायल अध्यापिका को जिला अस्पताल बिजनौर भिजवाया गया था, जहां से उसे हायर सेंटर मेरठ रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी। दिनांक 03.05.2026 को ही स्थानीय पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त प्रशांत उपरोक्त को हिरासत में लेकर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया गया था। उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 374/2024 धारा 302 भादवि व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 30.05.2026 को माननीय न्यायालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश जनपद बिजनौर द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त प्रशांत उपरोक्त को आजीवन कारावास व कुल 60,000/- रुपयों के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

प्रशांत पुत्र लवकुश निवासी ग्राम शादीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर